




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
29/09	212 RTI	दीनलखेड़ी	द.ब.डी
घादी	घाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रीनाकई कोठ	बनाम	लखनवा बाई कोठ	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
28/5/09	राजिनाथन प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212 RTI विशुद्ध प्रार्थनों को, इस न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सरिसमा का आलोचना किया प्रकरण दर्ज एचो 222 किया जावे तथा प्रार्थनों को परिश समान तलक तार पत्रावली दिनांक 17/6/09 को पेश हो।	25/6/07
17/6/09	पत्रावली पेश हुई। न्यायालय प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी प्रार्थनों के समान प्रारत नहीं। वास्ते इंतजार समान पत्रावली दिनांक 25/6/09 को पेश हो।	
25/6/09	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.8.09 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
10/7/09	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 7.8.09 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
7/8/09	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 2.1.8.09 को पेश हो।  न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	

पत्रावली पेश हुई। बहुलाप फरीकेट उपन। संशोधित शरित्त पेश नहीं हुआ। लक्षण माहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरित्त दिनांक 22.7.25 को पेश हो।

12.7.25 पत्रावली पेश हुई। बहुलाप फरीकेट उपन। संशोधित शरित्त पेश नहीं हुआ। लक्षण माहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरित्त दिनांक 30.7.25 को पेश हो।

4.8.25 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9.3.8.25 को पेश हो।

14
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
एबड़ा (बारा)

23.9.25 पत्रावली पेश हुई। बहुलाप फरीकेट उपन। संशोधित शरित्त पेश नहीं हुआ। लक्षण माहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरित्त दिनांक 8.10.25 को पेश हो।

8-10-25 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 10.11.25 को पेश हो।

14
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
एबड़ा (बारा)

10.11.25 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.12.25 को पेश हो।

14
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
एबड़ा जिला थारां

22.12.25 पत्रावली पेश हुई। बहुलाप फरीकेट उपन। नहीं है। कमील नहीं है। लक्षण माहते हैं। पत्रावली काटे संशोधित शरित्त दिनांक 22.12.25 को पेश हो।